जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 19.04.2025

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 19.04.2025 को मा0 न्यायालय– ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1150/2011 धारा 304/308/325/323/504/506 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता पारस चौरसिया पुत्र रामअचल निवासी धमरजा टोला बेलराई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनदप संतकबीरनगर को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

मु0अ0सं0 1150/2011 धारा 304/308/325/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पारस चौरसिया को धारा 323 के तहत 06 माह का कारावास, धारा 325 भादवि में 03 वर्ष के कारावास व 2000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 304 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना मेंहदावल* पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता लोरिक यादव पुत्र भागी यादव निवासी सिक्टौर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, उ0नि0 श्री मैनेजर यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत हनुमान मन्दिर मगहर से कालर द्वारा थानाक्षेत्र गगहा जनपद गोरखपुर से मुण्डेरवा जनपद बस्ती को बारात से वापस जा रही चार पहिया वाहन को अज्ञात पिकप द्वारा ठोकर मारकर भाग जाने व जिससे सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.आशीष कुमार पुत्र अजीत कुमार ग्राम गगहा थाना गगहा जनपद गोरखपुर 2.इनामुल्लाह पुत्र मो0 हुसैन ग्राम इटहर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती 3.सलामुल्लाह पुत्र वाहिद अली ग्राम सिसवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय़ता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 कर्मवीर सिंह, आरक्षी दुर्गेश पाठक, हो0चा0 रसीद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 1,82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 1,82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।